<u>दिनांक 26.08.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 142वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 142वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री प्रकाश वीर राठी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीमति काया त्रिपाठी, महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री कुलदीप, महाप्रबन्धक, नाबार्ड तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया. उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य के अच्छे विकास के लिए एसएलबीसी, बैंकों एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा आज की बैठक में की जाएगी. साथ ही सभी बैंकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में नयी ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय के साथ समस्त पैरामीटर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अनुरोध किया. तत्पश्चात उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है.

उन्होने दिनांक 17.05.2019 को आयोजित 141वीं एसएलबीसी राजस्थान की बैठक के बाद हुई विभिन्न योजनाओं की अद्यतन सूचना से सदन को अवगत करवाया जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार है:

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सुझाव एवं परामर्श अभियान चलाया है उक्त अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग को संरेखित (align) करना, विचारों को प्रोत्साहित करना एवं बैंक के प्रत्येक स्तर के कर्मचारी की सहभागिता सुनिश्चित करना है. जिसके तहत समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शाखा/क्षेत्रीय स्तर, एसएलबीसी/ राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जावेगी.
- भारतीय बैंक संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ग्राहक की स्थानीय सुविधा के लिए एकरूप बैंकिंग समय लागू करने के निर्देश प्रदान किए हैं. इस संबंध में एसएलबीसी ने समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के लिए

इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा दिये गए 3 समय स्लॉट यथा 09:00 AM to 03:00 PM, 10:00 AM to 04:00 PM एवं 11:00 AM to 05:00 PM में से एक स्लॉट चुनने हेतु विशेष DLCC बैठक आयोजित करें. उक्त यूनिफ़ोर्म बैंकिंग आवर्स 1 अक्टूबर 2019 से राज्य भर में लागू किए जाने प्रस्तावित है.

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में 5 कि.मी. परिधि में बैंकरहित 1376 गांवों की सूची प्रदान की गयी जिनका विवरण जन धन दर्शक एप / जीआईएस एप पर अपलोड नहीं किया गया है. उक्त 1376 गांवों मे से 1183 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. शेष रहे 193 बैंकरहित गांवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित किया गया है. उन्होने समस्त बैंकों से शेष रहे उक्त गांवों में शीघ्र बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया.
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने केसीसी संतृप्ति अभियान चलाया है जिसके तहत सभी किसानों को केसीसी ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है. एसएलबीसी, राजस्थान द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को 21.39 लाख किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है. वर्तमान में राज्य में कुल 87.11 लाख किसान हैं जिसमें से 69.21 लाख किसानों को केसीसी प्रदान किया जा चुका है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त अभियान हेतु लगाए जाने वाले शिविरों में राज्य/ जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें.
- गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक राज्य से महत्वाकांशी जिलों में एक ऐसे जिले की पहचान की जाये जिसे एसएलबीसी, राज्य सरकार एवं आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से 1 वर्ष की समय सीमा में 100% digitally enabled बनाया जाये. राजस्थान राज्य में करौली जिले को चिन्हित किया गया है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि करौली जिले को राजस्थान राज्य के 100% digitally enabled जिले के रूप में स्थापित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें.
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है जिसके द्वारा लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है. इसी दृष्टिकोण के साथ राजस्थान सरकार द्वारा एमएसएमई उद्यमियों को नये उद्योग स्थापित करने पर 3 वर्ष तक राज्य सरकार से अनुमोदन एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकार द्वारा विशेष छूट प्रदान की गयी है.
- राज्य में कृषि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा "कृषि ऋण रहन" पोर्टल विकसित किया गया है जिसके माध्यम से बैंक अधिकारी द्वारा बैंक के पक्ष में भूमि रहन करने हेतु ऑनलाइन अनुरोध किया जावेगा. राजस्थान सरकार द्वारा कृषि ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण हेतु कृषि भूमि पर रहन ऑनलाइन ही दर्ज किया जावेगा.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के जून 2019 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उपलब्धि, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. उन्होने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैंड अप इंडिया योजना में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की

प्राप्ति हेतु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक नामांकन करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर व रूपे कार्ड एक्टिवेशन पर भी प्रकाश डाला।

उन्होने निम्न मुद्दों पर राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया:-

- राज्य सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने के चलते कई जिलों में भूमि का रहन दर्ज करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
- राको (रोड़ा) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत जिला/ ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है. यहाँ तक कि कुछ मामले तो एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं. बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए वसूली हेतु बैंकों के पक्ष में वसूली का वातावरण बनाने की आवश्यकता है.
- संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा SARFAESI अधिनियम के मामलों में अनुमति देने में असामान्य देरी करने के मुद्दे पर राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं जिनके क्रियान्वयन में एसएलबीसी का महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होने भारत सरकार द्वारा चलाये गए सुझाव एवं परामर्श अभियान में अपनाई जा रही “बॉटम अप अप्रोच” की महत्ता बताई. साथ ही समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि केसीसी संतृप्ति अभियान के तहत 100% संतृप्ति स्तर प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएँ. उन्होने बताया कि भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंक मित्र हेतु centralised repository तैयार की गयी है जिसके माध्यम से प्रत्येक बीसी का सम्पूर्ण विवरण देखा जा सकता है. उक्त पोर्टल बैंक मित्रों के कार्य की निगरानी करने में भी सहायक होगा. साथ ही बताया कि आज के समय में बढ़ते हुए डिजिटल लेन देन एवं डिजिटल माध्यमों के प्रयोग से होने वाली धोखा धड़ी के संबंध में आम जन को जागरूक किया जाना चाहिए. एसएलबीसी की बैठक में साइबर पुलिस विभाग द्वारा भी सहभागिता की जानी चाहिए.

उन्होने बताया कि खंड, जिला एवं राज्य स्तर पर होने वाली बैंकर्स समिति की बैठकों में राज्य सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति कम रहती है जो कि राज्य के समग्र विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी की सार्थक समीक्षा हेतु अति आवश्यक है. उन्होने बताया की ऋण देने की

सम्पूर्ण प्रक्रिया में रिकवरी एक महतव्पूर्ण चरण है तथा इस हेतु राज्य सरकार से हमेशा की तरह सहयोग की अपेक्षा रखते है.

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

उन्होने बताया कि अग्रणी जिला प्रबन्धकों को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है एवं सही आंकड़ों की समय पर उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देवें जिससे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान किया जा सके.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत तय समय सीमा में 40.70 लाख पॉलिसी सृजन करने पर बधाई प्रदान की. उन्होने आश्वासन दिया कि भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने के चलते कई जिलों में भूमि का रहन दर्ज करवाने में आ रही परेशानी को जल्द दूर करवाने हेतु उनके द्वारा राजस्व विभाग के समक्ष मुद्दा प्रस्तुत कर जल्द से जल्द उक्त परेशानी को दूर करवाने की कार्यवाही की जावेगी.

किसानों की आय दुगुनी करने के संबंध में उन्होने बताया कि किसानों को खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग एवं उपज के मूल्य संवर्धन से जोड़ा जाना चाहिए. सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में 10,000 एफ़पीओ बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य सरकार द्वारा 10 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि पर प्रोसेसिंग ईकाई लगाए जाने पर उक्त भूमि को व्यावसायिक भूमि में परिवर्तित करवाने की आवश्यकता को खत्म किया गया है. एफ़पीओ द्वारा कच्चे माल की खरीद हेतु मंडी जाने की बजाय सीधे सदस्यो से की जा सकती है. सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप एवं अन्य जल संरक्षण से संबन्धित कार्यों हेतु बैंकों द्वारा पूर्ण सक्रियता से ऋण प्रदान किया जाना चाहिए.

उन्होने बताया की राजस्थान जेसे सूखा ग्रस्त राज्य में सूक्ष्म एवं लघु किसनो की आय बढ़ाने हेतु सभी बैंकों को पशुपालन व इसे जुड़ी अन्य कार्यो के लिए ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया. SARFAESI अधिनियम के मामलों में संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अनुमति देने एवं अन्य सहयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता बतलाई.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री राकेश शर्मा, उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए.

श्री राकेश शर्मा, उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **141** वीं बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना हेतु समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया जिसमें से मुख्य कार्यवाही बिन्दु निम्नानुसार हैं :

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख/ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य की समस्त बैंक शाखाओं/क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय के व्यावसायिक लक्ष्य वार्षिक साख योजना के साथ संरेखित (align) कर निर्धारित किए जाने चाहिए.
- अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अपेक्षित कौशलयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए.
- अग्रणी जिला कार्यालय हेतु अलग कार्यालय स्थान एवं एलडीएम द्वारा अपनी मुख्य जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कंप्यूटर, प्रिन्टर एवं डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- साथ ही एलडीएम को अलग से एक वाहन भी उपलब्ध करवाना जाना चाहिए.
- एलडीएम कार्यालय में डेटा प्रविष्टि/ विश्लेषण हेतु कर्मचारी की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. अतः एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

उन्होने विभिन्न उपसमितियों के आयोजन का विवरण प्रस्तुत किया जो कि निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	11.07.2019
2. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं	17.07.2019
3. एसएचजी/जेएलजी/ एफ़पीओ	17.07.2019
4. कृषि योजनाओं से संबन्धित	25.07.2019
5. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	05.08.2019
6. बकाया ऋण वसूली	awaited

उन्होने बताया कि आज आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 142वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 6 वीं बैठक दिनांक 21.08.2019 को आयोजित की गयी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

Key Business Parameters

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि 30 जून, 2019 तक राज्य में कुल 7942 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जून तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 32 शाखाएं खोली गयी हैं.

जमाएँ व अग्रिम: 30 जून, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 12.60% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 4,00,734 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.36% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 3,30,066 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 11.89%, 16.95%, 5.61% एवं 103.41 % रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 18.52%, 15.29% एवं 56.52% रही है तथा सहकारी बैंकों में नकारात्मक वृद्धि 61.43% रही. राज्य का साख जमा अनुपात 85.09% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.26% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,11,466 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 जून, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 0.05% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 99,038 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: 30 जून, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.81% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 77,034 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 जून, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.41% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 67,036 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 जून, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.18% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 15,038 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 64.07%, कृषि क्षेत्र को 30.01%, कमजोर वर्ग को 20.31%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 13.75% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 12.30 % रहा है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन में राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के 30 जून, 2019 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी. राज्य के सभी बैंकर्स एवं अन्य सभी हितग्राहियों को इसके लिए बधाई दी.

एजेण्डा क्रमांक - 4

Unbanked Rural Centres (URC)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में चिन्हित दिनांक 31.05.2018 तक राज्य के 895 बैंकरहित गांवों (5 किमी की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के रोड्मेप) को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है. उक्त 895 बैंकरहित गांवों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वैबसाइट पर भी अपलोड कर दी गयी है. इस संबंध में उन्होने बताया कि एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक, ईक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा कुल 5 बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है.

उक्त 895 बैंकरहित गांवों में से 890 गांवों में बैंक मित्र (BC) के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं एवं 1 गांव में बीसी को चयनित किया जा चुका है. 4 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है.

उन्होने इस संबंध में बताया कि 5 किमी की परिधि में बैंक रहित गांवो में बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने की उपरोक्त बैंको की दिनांक 31.03.2019 तक की प्रगति निम्नानुसार हैं:

एसएलबीसी द्वारा एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक, ईक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में अवगत करवा दिया गया है एवं दिनांक 11.07.2019 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति (वित्तीय समावेशन) बैठक में एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक, ईक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक के राज्य प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई।

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया है कि एयू एस.एफ.बी ने सूचित कि उनके बैंक को आवंटित 21 गांवो में से 19 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। शेष रहे 2 गांवों में से गांव लूम्बासर, जिला बाडमेर अस्तित्व में नहीं है जिसकी पुष्टि दिनांक 11.07.2019 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति (वित्तीय समावेशन) बैठक में प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भी कर दी गयी है. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार ने उन्हें रेख चरनी

गुनियासर, जिला हनुमानगढ़ की जगह निकटतम गांव गुनियासर, जिला हनुमानगढ़ में बीसी नियुक्त करने का सुझाव प्रदान किया हैं जिसमें उनके बैंक द्वारा बीसी चिन्हित कर लिया गया एवं चिन्हित बैंक मित्र (बीसी) दिनांक 1 सितम्बर 2019 से बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगा |

प्रतिनिधि, इक्विटास एसएफ़बी ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित 3 गांवो में 1 गाँव में भारतीय स्टेट बैंक का बीसी 6 किमी की दूरी पर कार्यरत है एवं शेष रहे 1 गाँव में बीसी चयनित कर लिया गया है एवं दिनांक 31.08.2019 तक शेष रहे दोनों गांवो में बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार किसी भी स्थान के 5 किमी की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है अतः तीनों स्थानों पर इक्विटास एसएफ़बी करवाया जाना शेष है एवं उक्त मुद्दा विगत 2-3 एसएलबीसी की बैठकों में उठाया जा रहा है परंतु 2-3 बैंकों के लापरवाह पूर्ण रवैये के कारण सम्पूर्ण राज्य की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कुल शाखा विस्तार की योजना के तहत 25% ग्रामीण क्षेत्र में बैंक शाखा खोलने में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होने बताया कि उक्त निर्देशों के अनुसार 25% लक्ष्यों की पूर्ति होने पर भी एसएलबीसी द्वारा आवंटित बैंक रहित गांवो में दिनांक 31.08.2019 तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने ईक्विटास स्माल फ़ाईनेन्स बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने के कार्य पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रतिनिधि, ईक्विटास स्माल फ़ाईनेन्स बैंक को निर्देश दिया कि शेष रहे गांवों में दिनांक 31.08.2019 तक बीसी नियुक्त कर एसएलबीसी को सूचित करावें.

(कार्यवाही : ईक्विटास स्माल फ़ाईनेन्स बैंक)

प्रतिनिधि, कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया कि एनपीसीआई से मैपिंग नहीं होने की वजह से देरी हो रही है एवं उनके बैंक को आवंटित 3 गांवों में से 2 गांवों में दिनांक 31.08.2019 तक बीसी द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया जावेगा.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि ईक्विटास स्माल फ़ाईनेन्स बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक के राज्य प्रमुख द्वारा सहभागिता नहीं की जा रही है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 कि.मी. परिधि में बैंकरहित 1376 गांवों की सूची प्रदान की गयी है जिनमें बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कारवाई जानी है एवं उक्त सूची समस्त नियंत्रक सदस्य बैंकों से साझा कर दी गई एवं उक्त गांवों का विवरण जन धन दर्शक जीआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। उक्त 1376 गांवों मे से 1183 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शेष रहे 193 बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं

उपलब्ध करवाने हेतु उक्त गांवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित किया गया है उन्होने शेष रहे बैंक रहित गांवों में दिनांक 31.08.2019 तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY एवं APY के तहत दिनांक 31.07.2019 तक कुल नामांकन 94.26 लाख किए जाने से सूचित किया जो कि 31.03.2019 में 80.65 लाख था. दिनांक 31.07.2019 तक कुल 12,981 क्लेम दायर किए गए जिसमें से 11289 क्लेम का भुगतान कर दिया गया है एवं बीमा कंपनी के पास 675 क्लेम लंबित हैं. उन्होने बीमा क्लेम का भुगतान करने के लिए समस्त बीमा कंपनियों से अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत 300 दावें अस्वीकृत किए गए है जो कि कुल प्रस्तुत दावों का लगभग 10% है एवं अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है इस पर जांच कर कड़ी निगरानी के निर्देश प्रदान किए

साथ ही उन्होने ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि. के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

(कार्यवाही : नियंत्रक, ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि. एवं नियंत्रक, सदस्य बैंक राजस्थान)

<u>अटल पेंशन योजना</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. राज्य में कुल 418120 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.07.2019 तक उपलब्धि 20.72% रही है. उक्त योजनांतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है. साथ ही बताया कि सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंक एवं स्माल फ़ाईनेंस बैंकों की प्रगति बहुत ही कम रही है.

(कार्यवाही : निजी क्षेत्र के बैंक, स्माल फ़ाईनेंस बैंक एवं राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक)

प्रतिनिधि, राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक ने बताया कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना शुरू हो चुका है। उन्होने आगामी तिमाही में इस योजना पर प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया.

प्रतिनिधि, एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक ने आगामी तिमाही में इस योजना पर प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया.

प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक आगामी तिमाही में इस योजना पर प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजनांतर्गत और अधिक प्रयास कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करें।

Identification of one Digital District-

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ आरबीआई गवर्नर की दिनांक 19.07.2019 को बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गयी जैसे वसूली के प्रयासों में सुधार, जरूरतमंद क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह, मजबूत जोख़िम प्रबंधन इत्यादि। गवर्नर, आरबीआई डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए । साथ ही समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 वर्ष की समय सीमा के अंदर प्रत्येक राज्य के एक महत्वाकांशी जिले (Aspiration District) को 100% डिजिटल बनाया जाये। इस क्रम में राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है।

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक के द्वारा भी सिरोही जिलें को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है एवं प्रयासरत है ।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि इस संबंध में एसएलबीसी के स्तर पर सभी बैंकों के साथ जल्द ही एक बैठक का आयोजन कर करौली जिले को 100% डिजिटल बनाने हेतु रणनीति तैयार कर बैंकवार लक्ष्य आवंटित किए जाने की कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही : एसएलबीसी राजस्थान एवं समस्त नियंत्रक सदस्य बैंक)

एजेण्डा क्रमांक - 5

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति** के बारे में निम्नानुसार सदन को अवगत करवाया :

वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,71,643 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जून तिमाही तक राशि रू 42,287 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 24.64% उपलब्धि है. कृषि में 23.20%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 31.66% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 12.21% की उपलब्धि दर्ज की गई है. वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष जून तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 27.25%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 36.13%, सहकारी बैंक ने 0.18% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 25.78% की उपलब्धि दर्ज की है.

उन्होने राज्य के औसत से कम उपलब्धि बैंक राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (0.10%), राजस्थान भूमि विकास बैंक (2.64%), बैंक ऑफ इण्डिया (4.54%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (5.46), इंडियन बैंक

(5.78%), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (5.86%), आईडीबीआई बैंक (6.57%), यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (10.33%), यूनियटेड बैंक ऑफ इण्डिया (11.54%), यूको बैंक (12.08%), कॉर्पोरेशन बैंक (12.12%), इंडियन ओवरसीज बैंक (12.33%), केनरा बैंक (16.49%) एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 16.70% है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने बताया कि उनके बैंक में ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है। दिनांक 11.07.2019 से ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है एवं प्रगति शुरू हुई है जो कि लगभग रु. 2300 करोड़ हो चुकी है एवं आगामी तिमाही में अच्छी प्रगति हेतु आश्वासन दिया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम प्रगति करने वाले बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए एवं राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति निगरानी रखने हेतु नाबार्ड को निर्देश प्रदान किए. **(कार्यवाही : नाबार्ड एवं नियंत्रक सदस्य बैंक)**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित 55,777 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.07.2019 तक 17,093 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 30.65% उपलब्धि है.

साथ ही बताया कि पिछली बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि वर्ष 2019-20 के लक्ष्य तिमाही आधार पर प्रदान किए जाएंगे एवं दिसंबर 2019 तिमाही तक सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे जिससे मार्च तिमाही में बैंकों को बैंकिंग के मूल व्यवसाय पर ध्यान देने हेतु समय मिल सके.

प्रतिनिधि, राजीविका, राजस्थान सरकार ने बताया कि बीआरकेजीबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं आईसीआईसीआई बैंक की प्रगति काफी अच्छी रही है जिसके लिए उक्त बैंक बधाई के पात्र हैं। साथ ही बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा सभी बैंक शाखाओं को एसएचजी बैंक लिंकेज आवेदन IBA द्वारा अनुमोदित प्रारूप हार्ड कॉपी में भिजवाए जाते हैं। उक्त आवेदन पत्र बैंक सखियों एवं राजीविका स्टाफ द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें कई बार लिपिकीय त्रुटियाँ रह जाती हैं जिससे एसएचजी बैंक लिंकेज में अनावश्यक विलंब होता है। अतः राजीविका द्वारा MIS का उपयोग कर आईबीए द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार एसएचजी बैंक लिंकेज आवेदन पत्र तैयार करवाया गया है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त आवेदन पत्र बैंक शाखाओं द्वारा स्वीकार करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजीविका द्वारा MIS का उपयोग कर आईबीए द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार बनाए गए एसएचजी बैंक लिंकेज आवेदन पत्र तैयार करने के कदम की सराहना की एवं बताया कि बैंकों के लिए भी सुपाठ्य एवं सफाई से भरे हुए आवेदन पत्र को प्रसंस्कृत करना सरल होगा.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजीविका विभाग को सुझाव दिया कि नए एसएचजी बैंक लिंकेज आवेदन पत्र के संबंध में एसएलबीसी को पत्र प्रेषित करें तदुपरान्त एसएलबीसी के स्तर से समस्त बैंकों को इस संबंध में अवगत करवा दिया जावेगा.

(कार्यवाही : राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, राजीविका, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा समुदाय आधारित वसूली तंत्र विकसित किया है जिसके तहत राजीविका के क्लस्टर एवं गाँव स्तर के प्रतिनिधि एवं शाखा प्रमुख की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी है एवं राजीविका प्रतिनिधि डीपीएम/बीपीएम सदस्य सचिव होगा। उक्त समिति की मासिक रूप से बैठक आयोजित कर एसएचजी के एनपीए एवं पीएनपीए खातों में वसूली करने के प्रयास किए जाते हैं। आज दिनांक तक 1186 शाखाओं में उक्त समिति गठित की जा चुकी है.

<u>स्वयं सहायता समूह (SHG)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जून 2019 तक 324337 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है एवं 76951 एसएचजी पर राशि रू 574.45 करोड़ का ऋण बकाया है.

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि नाबार्ड द्वारा ई- शक्ति पोर्टल बनाया गया है जिस पर एसएचजी के प्रत्येक सदस्य की क्रेडिट हिस्ट्री एवं समूह से संबन्धित समस्त सूचना अद्यतित की गयी है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की 140वीं बैठक में नाबार्ड द्वारा ई- शक्ति पोर्टल के संबंध में सदन के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया था. एसएलबीसी की आगामी उप समिति की बैठक में पुनः ई-शक्ति पोर्टल के बारे में समस्त बैंकों को जागरूक किया जावेगा.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जो एसएचजी कार्यशील नहीं है उन्हे पुनर्गठित कर क्रेडिट लिंक किए जाने की आवश्यकता है. राज्य में बैंकों में उपलब्ध बचत खातों के सापेक्ष एसएचजी क्रेडिट लिंकेज का प्रतिशत काफी कम है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि जिन एसएचजी के बचत खाते कार्यशील नहीं है अथवा किसी कारण से समूह अस्तित्व में नहीं है उनके खातों को बंद करने की कार्यवाही की संभावना तलाशे जिससे राज्य में एसएचजी क्रेडिट लिंकेज की सही स्थिति परिलक्षित हो सके.

उन्होने बताया कि ई-शक्ति पोर्टल को शाखा प्रबन्धकों द्वारा उपयोग किए जाने की निगरानी नाबार्ड व बैंक नियंत्रक कार्यालय स्तर से की जानी चाहिए एवं इस पर विस्तृत चर्चा आगामी एसएलबीसी की उपसमिति बैठक में करें.

(कार्यवाही : नाबार्ड व नियंत्रक, सदस्य बैंक)

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 9041 के लक्ष्य है. जिसमें से 7055 व्यक्तियों, 414 समूहों एवं 1572 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 31.07.2019 तक उपलब्धि क्रमशः 188, 5 एवं 60 रही है.

उन्होने बताया कि उक्त योजनांतर्गत बैंकों को प्राप्त होने वाले आवेदनों का गुणवत्ता स्तर अच्छा नहीं होने एवं एक केंद्र पर समान प्रकार के व्यवसाय हेतु कई आवेदन प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन स्वीकृत करना संभव नहीं हो पाता है, जो कि लक्ष्य से कम प्रगति रहने का प्रमुख कारण है। साथ ही बैंकों को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रतिनिधि, डे-एनयूएलएम ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उक्त योजनांतर्गत अच्छी प्रगति करने पर बधाई दी. साथ ही बताया कि टास्क फोर्स समिति द्वारा एकत्रित काफी संख्या में आवेदन अन्य बैंकों के पास लंबित हैं जो कि मार्च 2019 से पहले के हैं.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति (राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं) की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवेदनों की ही समीक्षा की जावेगी. दिनांक 01.04.2019 से पहले के लंबित आवेदनों में से अच्छी गुणवत्ता वाले आवेदनों को डे-एनयूएलएम द्वारा पुनः प्रायोजित किया जा सकता है.

प्रतिनिधि, डे-एनयूएलएम ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में टास्क फोर्स समिति की बैठकें करवाई जा रही हैं. जल्द ही आवेदन पत्र एकत्रित कर बैंकों को भिजवाए जावेंगे. साथ ही बताया कि डे-एनयूएलएम द्वारा एसएचजी की सम्पूर्ण जानकारी हेतु एक पोर्टल तैयार किया गया है. आवेदनों की गुणवत्ता भी उक्त पोर्टल पर अद्यतित की गयी है जिसे बैंकों द्वारा देखा जा सकता है.

उपमहाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कि डे-एनयूएलएम विभाग के पोर्टल के बारे में एसएलबीसी एवं बैंकों को विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गयी है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि डे-एनयूएलएम विभाग के पोर्टल के बारे में एसएलबीसी एवं बैंकों को विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गयी है. इस पर उन्होने सुझाव दिया कि आगामी एसएलबीसी की उपसमिति की बैठक में पोर्टल के बारे में समस्त बैंकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करें एवं बैठक के पश्चात पोर्टल के बारे में पत्र के माध्यम से एसएलबीसी को अवगत करवाए ताकि समस्त सदस्य बैंकों को इस संबंध में अवगत करवाया जा सके.

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पीएमईजीपी के तहत वर्ष 2019-20 के लिए राज्य में मार्जिन के लक्ष्य राशि रू 101.94 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 31.07.2019 तक राशि रू 7.94 करोड़ की मार्जिन मनी बैंकों द्वारा वितरित की गयी है, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 7.79% (ऋण पर मार्जिन मनी वितरित) उपलब्धि है.

साथ ही बताया कि भारत सरकार द्वारा उक्त योजनांतर्गत 100 दिवस में रु. 55.00 करोड़ मार्जिन मनी वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसे 15 सितंबर 2019 तक प्राप्त किया जाना है. एसएलबीसी द्वारा सभी बैंकों को 100 दिवस हेतु लक्ष्य आवंटित कर दिये गए हैं एवं उक्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति 16.28% रही है. उन्होने पीएमईजीपी के तहत 100 दिवस आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत गुजरात एवं हरियाणा में काफी अच्छी प्रगति हुई है लेकिन राजस्थान में हुई अभी तक की प्रगति पर उन्होने असंतोष जाहिर किया. उन्होने बताया कि बैंकों में लगभग रु. 26.56 करोड़ के ऋण आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं लेकिन ऋण वितरण हेतु लंबित हैं. जिनमें से मुख्यतः एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी, पीएनबी, आरएमजीबी एवं यूको बैंक में बड़ी संख्या में ऋण आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं.

उन्होने भारतीय स्टेट बैंक के पास काफी मात्रा में ऋण आवेदन लंबित होने से सूचित किया. उन्होने प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द लंबित आवेदन पत्रों की संख्या शून्य करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करे.

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पीएमईजीपी के तहत किए जाने वाले ऋण एमएसएमई, मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप योजना के अंतर्गत भी कवर किए जाते हैं. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजनांतर्गत स्वीकृत किए गए ऋणों का वितरण करवाकर उक्त तीनों योजनाओं के अंतर्गत अच्छी प्रगति की जा सकती है.

उन्होने पीएमईजीपी के पोर्टल पर लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर करने हेतु समस्त बैंकों को निर्देश प्रदान किए।

साथ ही उन्होने केवीआईसी को निर्देश प्रदान किए कि समस्त संबन्धित बैंक एवं एसएलबीसी से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट साझा करें एवं समन्वय जारी रखे.

(कार्यवाही : केवीआईसी, भारत सरकार एवं समस्त नियंत्रक सदस्य बैंक)

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने पीएमईजीपी-2 का एजेंडा भी एसएलबीसी में शामिल करने हेतु अनुरोध किया.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 17.07.2019 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति (केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित) बैठक में बैंकों ने सूचित किया कि विभिन्न बैंक शाखाओं पर एक ही प्रकार की व्यापारिक/ औद्योगिक गतिविधियों के आवेदन पत्र प्राप्त प्राप्त हो रहे हैं. अतः उन्होने केवीआईसी विभाग, भारत सरकार से आवेदन पत्रों की गुणवत्ता पर ध्यान देने हेतु पुनः अनुरोध किया.

(कार्यवाही : केवीआईसी, भारत सरकार)

<u>The Rajasthan Micro, Small and Medium enterprises (facilitation of establishment and operation) Act, 2019 (Act No. 14 of 2019):</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा गज़ट नोटिफिकेशन सं. F2(24)Vidhi/2/2019 दिनांक 18.07.2019 के माध्यम से एमएसएमई उद्यमियों को नये उद्योग स्थापित एवं संचालित करने पर राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य अनुमोदन एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र लेने के लिए 3 वर्ष तक की छूट प्रदान की गयी है.

राजस्थान सरकार की उक्त पहल का उद्देश्य समावेशी आर्थिक विकास, एमएसएमई उद्यमियों की उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है.

<u>Special Central Assistance Scheme SC/ST</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 17,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.07.2019 तक मात्र 859 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 5.05% उपलब्धि है.

प्रतिनिधि, राजस्थान अनुजा निगम लि. ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत 5940 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं जिनके निस्तारण हेतु उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया. साथ ही बताया कि अभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों के साथ मासिक रूप से बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जा रही है.

(कार्यवाही : समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा आवेदनों के समयबद्ध निबटान हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसके बारे में विस्तार से सदन को अवगत करवाने हेतु प्रतिनिधि, DoIT से अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त पोर्टल तैयार किया जा चुका है एवं टेस्ट रन भी हो चुका है. उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि उनके विभाग व बैंकों के साथ हुई बैठक में पोर्टल को और अधिक अच्छा बनाने हेतु सुझाव मांगे गए है एवं प्राप्त सुझावों पर उनके विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है. पोर्टल तैयार होने में लगभग 1 से 2 महीने का समय लगने से सूचित किया.

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए हैं. दिनांक 30.06.2019 तक राशि रू 1577.74 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरित कर दिए गए हैं.

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में जून 2019 तक 15,368 इकाइयों को राशि रू 200 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2019 तक 2421 इकाइयों को 31 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है.

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में जून 2019 तक केवल 6869 इकाइयों को राशि रू 131 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं 1,394 इकाइयों के राशि रू 46.20 करोड़ के ब्याज अनुदान के प्रकरण लंबित है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) एवं हुड़को (HUDCO) के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त एवं आगामी बैठकों में उनके प्रतिनिधियों की सहभागिता करने के लिए पत्र लिखने के लिए एसएलबीसी निर्देश प्रदान किए.

{कार्यवाही : एसएलबीसी, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) एवं हुड़को (HUDCO)}

<u>Dashboard to monitor the saturation under the Kisan Credit Card (KCC) Scheme</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में कृषकों को संतृप्ति स्तर तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण उपलब्ध करवाना हेतु अभियान चलाया गया है. इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा समस्त जिलों को लक्ष्य आवंटित

किए है एवं समस्त किसानों को समयबद्ध तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया गया है जिससे किसानों को संस्थागत ऋण की तह में लाया जा सके.

उन्होने बताया कि उक्त अभियान के तहत प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा डैशबोर्ड विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा फ़सली ऋण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु ऋण एवं मौजूदा केसीसी धारक किसानों के लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रदान की गयी केसीसी सीमा की समीक्षा की जा सकेगी.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों को निर्देश प्रदान किए गए कि उक्त अभियान के तहत बैंकों द्वारा mission mode में कार्य कर 45 दिवस के भीतर 100% संतृप्ति स्तर को प्राप्त किया जावे. एसएलबीसी द्वारा इस हेतु जिलेवार केसीसी प्रदान करने के लक्ष्य प्रदान किए गए। राज्य को प्रदत्त कुल 2139400 किसानों के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 09.08.2019 तक 351908 किसानों को केसीसी ऋण प्रदान किया जा चुका है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त अभियान के तहत हुई प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट एसएलबीसी को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें जिससे उक्त रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि जिन किसानों के पास खेतीयोग्य भूमि है लेकिन केसीसी ऋण हेतु भूमि पर रहन दर्ज नहीं है, उनकी जानकारी अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करवाई जाये जिससे बैंकों द्वारा शेष रहे किसानों से संपर्क कर उन्हे केसीसी ऋण सुविधा प्रदान की जा सके.

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि केसीसी हेतु भूमि रहन करने एवं कुछ अन्य मुद्दे राजस्व विभाग से संबन्धित हैं, जिन पर चर्चा कर समाधान निकाले जाने की आवश्यकता है. उन्होने अनुरोध किया कि एसएलबीसी द्वारा कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाकर सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा की जावे.

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पीएमएफ़बीवाई पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार खरीफ 2019 के तहत 30.79 लाख बीमा पॉलिसी जारी की गयी हैं. जिनका कुल बीमित क्षेत्रफल 36.04 लाख हेक्टेयर, कुल बीमा राशि रु 10,504.60 करोड़ एवं किसान द्वारा वहन की गयी प्रीमियम राशि रु 233.51 करोड़ है.

उन्होने बताया कि पीएमएफ़बीवाई योजनांतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों से संबन्धित कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने के लिए अनेक बैठकें की जा चुकी है लेकिन फसल बीमा योजना से जुड़े मुद्दों पर आज तक निर्णय नहीं हो पाया है. उनमें से कुछ मुख्य मुद्दे शीघ्रता से सुलझाए जाने अतिआवश्यक हैं:-

- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएमएफ़बीवाई के अंतर्गत खरीफ 2019 का डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 16.08.2019 से बढ़ाकर 16.09.2019 किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं.
- निम्न कारणों से पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 का डेटा अपलोड नहीं किया सका है:-
  - आधार कार्ड मिसमैच अथवा आधार कार्ड की अनुपलब्धता
  - गांवों का डेटा एवं आधार कार्ड का डेटा पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाना
  - अन्य तकनीकी खामियाँ जैसे पॉलिसी स्वतः डिलीट हो जाना, 7 हेक्टेयर भूमि संबंधी मुद्दे इत्यादि.

इस संबंध में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने उपरोक्त कारणों की वजह से आंकड़े पोर्टल पर अद्यतन नहीं किए जाने के कारण लंबित किसानों का विवरण प्रेषित करने हेतु निर्देश प्रदान किए है जिससे उनके द्वारा खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 के डेटा हेतु पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पुनः खोलने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा सके.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 का जो डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका है उसका विवरण एसएलबीसी को दिनांक 31.08.2019 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें.

- बीमा कंपनी द्वारा फसल दावा राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करवाने के बजाय शाखा के खाते में हस्तांतरित की जा रही है.
- बैंक द्वारा बीमा कंपनियों को प्रेषित प्रीमियम राशि पर 4% सर्विस चार्जेज़ का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
- टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2018 का किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार की अनुमति के बिना अस्वीकार कर दिया है. दिनांक 02.04.2019 को आयोजित बैठक में आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त प्रीमियम राशि स्वीकार करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आज दिनांक तक प्रीमियम स्वीकार नहीं किया गया.

आयुक्त कृषि राजस्थान सरकार ने आधार कार्ड मिसमैच व विलेज मिसिग कारणों की वजह से खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 के तहत कृषकों के आंकड़े पोर्टल पर अद्यतन नहीं किए जाने के कारण लंबित किसानों का विवरण दिनांक 01.09.2019 तक एंव बैंकों को अप्राप्त 4% सर्विस चार्जेज़ का विवरण प्रेषित करने हेतु बैंकों को निर्देश प्रदान किए ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.

साथ ही उन्होने बताया कि खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 के तहत कृषकों के आंकड़े पोर्टल पर अद्यतन करने का अंतिम अवसर बैंक शाखाओं के पास होगा.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक)

<u>कृषि ऋण रहन पोर्टल</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने पत्रांक फा/IT/SCR/05/2018/336 दिनांक 04/07/2019 द्वारा सूचित किया है कि किसानो के लिए कृषि ऋण लेने हेतु बैंक के पक्ष में भूमि रहन करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए "कृषि ऋण रहन पोर्टल" विकसित किया है. इस संबंध में समस्त बैंकों को बैंक एड्मिनिस्ट्रेटर की आधारयुक्त एस.एस.ओ. आई.डी. बनाकर संबन्धित बैंक द्वारा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को ई-मेल आई.डी. scr-rj@nic.in पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है. कृषि रहन पोर्टल के लिए झुंझुनु जिले का पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप मे चयन किया गया है.

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों द्वारा वर्ष 2019-20 में जून तिमाही तक राज्य में 2814 छात्रों को राशि रू 74.48 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 49,534 छात्रों पर बकाया राशि रू 1,841.34 करोड़ है।

उन्होने बताया कि बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 720 खातों में रु 34.38 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार सूचित किया:

100% से अधिक 8 जिलों में,	71%-100% 15 जिलों में,
61%-70% 2 जिलों में,	51%-60% 6 जिलों में,
41%-50% 1 जिले में	40% से कम 1 जिले में है.

उन्होने बताया कि पिछले तिमाही में डूंगरपुर जिले का साख जमा अनुपात 40% से कम रहा है लेकिन जून 2019 तिमाही में जिले का साख जमा अनुपात 40% से 41.73% हो गया है. इसका मुख्य कारण

डूंगरपुर जिले में इंडसइंड बैंक द्वारा भारत फाईनेंशियल (एनबीएफ़सी) का अधिग्रहण किया गया है एवं उनके द्वारा जिले में उपलब्ध कारवाई गई साख के कारण से जिले के साख जमा अनुपात में वृद्धि हुई है.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि जून 2019 तिमाही में जिला सिरोही का साख जमा अनुपात जून तिमाही में 35.79% रहा है. जून तिमाही में जेके सीमेंट लि॰ एवं वॉलकेम लि. को क्रमशः राशि रु. 297 करोड़ एवं राशि रू 19 करोड़ की साख अन्य जिलों की शाखाओं द्वारा उपलब्ध कारवाई गई है एवं उनकी इकाइयां सिरोही जिलें में कार्यरत है एवं उनकी साख सीमा जिले की कुल साख राशि में जोड़ने पर 42.04% हो जाता है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सिरोही जिले का साख जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण कर आगामी एसएलबीसी बैठक में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि को निर्देश प्रदान किए

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

NPA Position

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जून, 2019 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 3,30,066 करोड़ है तथा कुल एनपीए राशि रू 14,320 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.34% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 8.14%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.83%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 1.99% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 5.54% है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि मार्च 2019 में कुल एनपीए 3.63% था जो कि जून 2019 में 4.34% है. मार्च 2019 में कुल कृषि ऋण एनपीए 6.93% था जो कि जून 2019 में बढ़कर 8.14% हो गया है.

Sub-Committee Meeting of SLBC on Recovery of Bank Dues

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति (बैंकों के बकाया ऋण) की प्रथम बैठक दिनांक 18.03.2019 को आयोजित की गयी एवं द्वितीय बैठक दिनांक 16.05.2019 को आयोजित की गयी. तत्पश्चात दिनांक 21.08.2019 को राजस्व मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में समस्त जिला कलेक्टरों को राको रोड़ा के तहत दर्ज सभी मामलों का निबटारा करने हेतु निर्देशित किया.

उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के सभी ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें. केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा

प्रायोजित कार्यक्रमों के नोडल विभाग द्वारा प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार को इस हेतु अनुशंसा करना सुनिश्चित किया गया.

(कार्यवाही : राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार, अनुजा निगम, राजस्थान सरकार, उद्योग विभाग, राजस्थान एवं केवीआईसी, भारत सरकार)

<u>सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 30.06.2019 तक कुल 645 प्रकरण राशि रू 253 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 417 मामले राशि रू 212 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक से लंबित हैं एवं राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,35,937 मामले राशि रु 2,912 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 80,401 मामले 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अनुरोध किया कि आगामी बैठक में सरफेसी एक्ट, 2002 एवं राको रोड़ा के तहत दर्ज मामलों की तिमाही आधार पर निस्तारण एवं नए प्रकरण फाइल करने की स्थिति से सदन को अवगत करवाया जाये.

साथ ही अनुरोध किया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में उक्त योजनाओं के एनपीए स्तर पर भी समीक्षा की जाए.

प्रतिनिधि, केवीआईसी, भारत सरकार ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि उन्हे एजेंसीवार एनपीए का डेटा उपलब्ध करवाया जाये जिससे उनके विभाग द्वारा एनपीए वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकें.

(कार्यवाही : नियंत्रक, सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, आरएमजीबी ने बताया कि जिला हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर द्वारा वसूली नहीं किए जाने के संबंध में बैंकों को पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं. इस कारण से वसूली को लेकर नकारात्मक माहौल बन रहा है. उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाए.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि ऋण माफी योजना के तहत माफ किए जाने वाले पात्रता ऋणों के अतिरिक्त जो ऋण खाते एनपीए हैं उनकी वसूली अनवरत जारी रहनी चाहिए एवं आयोजना विभाग से अनुरोध किया कि उनके द्वारा जारी पत्र से वसूली में बहुत प्रभाव पड रहा है अतः उसका शुद्धि पत्र जारी करावें.

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि इस संबंध में कार्यवाही जारी है शीघ्र नया पत्र जारी किया जावेगा.

एजेंडा क्रमांक- 8

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 30.06.2019 तक कुल व्यवस्थापन दर 69.42% रहने से सूचित किया. उन्होने बताया कि राज्य में 19 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 4 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 7 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना शेष है.

R-SETI Building Construction

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यू.आई.टी. सवाईमाधोपुर ने आरसेटी, सवाईमाधोपुर के लिए ग्राम जटवाड़ा खुर्द में 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है. संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में उक्त भूमि के निशुल्क आवंटन हेतु अनुशंसा की गयी. दिनांक 26.03.2019 को ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ आयोजित की गयी बैठक में बताया गया कि उक्त भूमि पब्लिक पार्क एवं सड़क हेतु आरक्षित है अतः वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जैसलमेर (भारतीय स्टेट बैंक) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संयुक्त शासन सचिव तृतीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्र.प.2(5)नविवि/जैसलमेर/2017 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार आरसेटी जैसलमेर के भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास जैसलमेर की अमर शहीद सागरमल गोपा आवासीय योजना में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 2937 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा आरसेटी निदेशक, जैसलमेर को लीज़ राशि के भुगतान हेतु डिमांड नोटिस भेजा गया है जिसमें भुगतान हेतु 2 विकल्प रखे गए हैं:-

1. 8 वर्ष तक रु 187821/- प्रति वर्ष अथवा
2. दिनांक 31.03.2019 तक एकमुश्त रु 15,02,568/-

भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त राशि की छूट प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

पाली (भारतीय स्टेट बैंक) : उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पूर्व में टेगोर नगर पाली में नगर परिषद, पाली द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) को 1000 वर्ग गज तक भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी थी, परंतु आरसेटी बिल्डिंग बनाने के लिए न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. अतः नगर परिषद पाली को पुनः 26.02.2018 को आरसेटी पाली हेतु न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा गया है. नगर परिषद पाली द्वारा मानपुरा भाकरी रोड पर एक बीघा 2.5 बिसवा भूमि बताई गयी है, जो कि 0.5 एकड़ से कम है. अतः आयुक्त नगर परिषद पाली को 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलक्टर पाली को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सिरोही में गत 6 वर्षों से बैंक की भूमि पर आरसेटी कार्यरत थी जिसमें से 2 बीघा 8 बिसवा भूमि आरसेटी को निःशुल्क आवंटित की गयी थी. जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा उक्त भूमि की कीमत राशि रु. 8,59,320/- सरकार को जमा कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को निर्देशित किया गया. उक्त राशि की माफी हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार को अनुरोध किया गया लेकिन जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पुनः उक्त राशि मय ब्याज 7 दिवस के भीतर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया. एसएलबीसी एवं एसबीआई द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त राशि माफ करने हेतु अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अनुरोध किया कि अलवर, पाली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर एवं जालोर में भूमि आवंटन से संबन्धित मुद्दों को राज्य सरकार की सहायता से जल्द से जल्द सुलझाया जाये अन्यथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली 1 करोड़ रु. की अनुदान राशि दिनांक 30.06.2020 के पश्चात क्लेम नहीं की जा सकेगी.

राज्य निदेशक, आरसेटी ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 4 जिलों में किराये के भवन में आरसेटी का संचालन किया जा रहा है जबकि राज्य सरकार द्वारा 0.5 एकड़ से अधिक की भूमि आवंटित की जा चुकी है.

महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय ने सूचित किया है कि 1 एकड़ से कम जमीन आवंटन होने के चलते बैंक की बोर्ड मीटिंग में भवन निर्माण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड द्वारा लिए गए उक्त निर्णय से ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार को अवगत करवाया जाये एवं अग्रिम कार्यवाही शीघ्र करने हेतु अनुरोध किया जाए.

प्रतिनिधि, केवीआईसी, भारत सरकार ने निदेशक, आरसेटी से अनुरोध किया कि पीएमईजीपी के 30.06.2019 बैच के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : समस्त आरसेटी संस्थान)

साथ ही राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से अनुरोध किया कि उनके बैंक द्वारा जो आईएफ़एससी कोड बदल दिये गए हैं उनकी सूची उपलब्ध करवा दी जावे.

(कार्यवाही : राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक)

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि आरसेटी की व्यावसायिक बिजली की दर से घरेलू दर में परिवर्तन के मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सूचित किया कि आरसेटी के भवन निर्माण के लिए आवंटित राशि रु 1 करोड़ की सीमा बढ़ाए जाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया गया है जिसके लिए सभी बैंकों से उक्त राशि की सीमा तय करने हेतु सुझाव मांगे गए हैं. उन्होने समस्त आरसेटी प्रयोजक बैंकों से उक्त मुद्दो पर सुझाव एसएलबीसी एवं एसडीआर को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : आरसेटी प्रयोजक बैंक, राजस्थान)

साथ ही बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा आरसेटी में भवन निर्माण के लिए आवंटित राशि 1.00 करोड़ के लिए अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2019 से बढ़ाकर 30.06.2020 कर दिये जाने से सूचित किया गया है।

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme- As on 30.06.2019

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 30.06.2019 तक कुल 15870 प्रशिक्षुओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत रु. 81.25 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा चुका है एवं आरसेटी प्रशिक्षुओं के मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण हेतु 3146 आवेदन लंबित होने से सूचित किया. उन्होने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को 15 दिनों के भीतर लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित करें. डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि वे डीएलआरसी / बीएलबीसी बैठकों में प्रगति की निगरानी के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करें.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि आरसेटी प्रशिक्षुओं के मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण हेतु लंबित आवेदनों का जल्द से निस्तारण किया जाए जिससे व्यवस्थापन दर भी बढ़ सकेगी. **(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)**

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्र</u>

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से मार्च 2019 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 669 एवं पार्ट बी के लिए 1490 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

एजेंडा क्रमांक- 9

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को इस बाबत पत्र प्रेषित किया जा चुका है.

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में बैंकों से राज्य प्रमुख एवं राजस्थान सरकार से राज्य प्रमुख अथवा शासन सचिव/ आयुक्त स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है. एसएलबीसी की उप समिति बैठक में बैंकों से सहायक महाप्रबंधक एवं राजस्थान सरकार से संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है.

(कार्यवाही : समस्त हितधारक, एसएलबीसी राजस्थान)

एजेंडा क्रमांक- 10

Implementation of Uniform Banking Hours in all Public Sector Banks

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय बैंक संघ (IBA) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का ग्राहक सुविधा के लिए एकरूप बैंकिंग समय लागू करने के निर्देश दिये हैं. इस संबंध में एसएलबीसी ने समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित किया है कि समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा दिये गए 3 समय स्लॉट यथा 09:00 AM to 03:00 PM, 10:00 AM to 04:00 PM एवं 11:00 AM to 05:00 PM में से एक स्लॉट चुनने हेतु विशेष DLCC बैठक आयोजित करने के लिए समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित किया जा चुका है. उक्त एकरूप बैंकिंग समय 1 अक्टूबर 2019 से राज्य भर में लागू किया जाना प्रस्तावित है.

Ground Level Credit Target for Agriculture for Financial Year 2019-20

उप महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि नाबार्ड ने पत्र दिनांक 04.07.2019 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के कृषि हेतु ग्राउंड लेवल क्रेडिट लक्ष्य रु. 13,50,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्य से 22.73% अधिक है. वार्षिक साख योजना के तहत कृषि क्षेत्र के रु. 1,00,396 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य को देखते हुए इस वर्ष के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों को अवगत करवाया जाये कि वार्षिक साख योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ प्रो-रेटा आधार पर नाबार्ड द्वारा दिये गए लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भी प्रयास किए जाएँ।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन के समक्ष सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने पर सभी बैंकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री योगेश अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया. साथ ही आश्वासन प्रदान किए कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

****